निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 130/2016 दावा
दायरा दिनांक :– 18.01.2016
निर्णय दिनांक :– 15-11-18

उनवान

1. रामचरण पुत्र किशनलाल
2. छीतर पुत्र किशनलाल जाति माली निवासीगण बड़ाय छीपाबड़ौद जिला बारां राज.

बनाम

1. हरलाल पुत्र गोपाल
2. शम्भूदयाल पुत्र गोपाल (मृतक)
   2/1 कम्पूरीबाई बेवा शम्भूदयाल
   2/2 रवि नाबा0 पुत्र शम्भूदयाल
   2/3 दिया नाबालिग पुत्री शम्भूदयाल नाबालिग की वली माता खुद कम्पूरीबाई पत्नि स्व0 शम्भूदयाल जाति माली निवासी बड़ाय तह0 छीपाबड़ौद
3. रमेशचन्द पुत्र गोपाल
4. गजानन्द पुत्र गोपाल
5. सोहनलाल पुत्र गोपाल
6. बद्रीबाई पत्नी स्व. गोपाल
7. बिरधीलाल पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासीगण बड़ाय तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज0

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 15-11-18

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नंबर 264 रकबा 1.11 बीघा, खसरा नंबर 280 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 292 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 405 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 503/401 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा लगानी 39.83 रूपये मौजा बड़ाय तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 214 सम्वत् 2070 ता 73 से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी है, जिसमे मुताबिक जमाबंदी वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त मे चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादीगण विवादित आराजी के काश्त के संबंध मे लड़ाई झगड़ा करते है, तथा लगान राज जमा कराने मे भी लड़ाई झगड़ा करते है, तथा विवादित आराजी शामिल खातेदारी मे दर्ज होने से वादीगण, अपने हिस्से की आराजी की समुचित काश्त नही कर पा रहे है, तथा विवादित आराजी को विकसित नही कर पा रहे है, इसलिए वादीगण विवादित आराजीयात का खाता विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

वादीगण ने दिनांक 15.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से वादपत्र के मद नम्बर–1 में वर्णित आराजीयात का कब्जे के अनुसार खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादीगण के निवेदन पर कतई ध्यान नही दिया, वादीगण उसी दिन तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद के पास खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने भी सभी सहखातेदारान मे सहमति न होने से खाता विभाजन करने से इन्कार कर दिया, इसलिए वादीगण के लिये माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है।वाद कारण दिनांक 15.07.2016 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से खाता विभाजन की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन कराने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीक्रम 1 ता 7 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ, जिसका जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा पेश किया गया। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 214 पेश की गई। प्रतिवादी की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2046–49, नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2050–53, नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 122, नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 51, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बडाय सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 214, नकल नामान्तकरण संख्या 254 ग्राम बडाय, नकल नामान्तकरण संख्या 255 ग्राम बडाय, नकल विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1996 पेश की गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अभिभाषक न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया, कि उक्त वाद मे वादीगण द्वारा दूसरो के बहकावे मे आकर विभाजन का दावा पेश किया गया था, जो आज पेशी मे है। उक्त वाद मे खाता संख्या 214 के कुल खसरा नंबर 6 किता रकबा 16.14 बीघा स्थित है, जिसमे वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का 2/3 हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1/7 का पूर्व का शामलाती खाते मे खसरा नंबर 24 की 8.02 बीघा जो हमारे कब्जे काश्त व बटवारे मे आई थी, जिसका बेचान हमने यानि वादीगण ने दिनांक 30.05.1996 को कर दी थी, एवं उसकी बेचान राशि भी हमने ही प्राप्त की थी, एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता गोपाल व प्रतिवादीक्रम 7 बिरधीलाल हम वादीगण के पिता किशनलाल सगे भाई थे। सम्पूर्ण भूमि 24.16 बीघा थी, जिसमे से तीनो खातेदारो के नाम होने से हमारे हिस्से की भूमि जमनालाल पुत्र पन्नालाल को बेचान कर चुके है। अब उक्त शेष बची भूमि मे हम वादीगण का कोई हक नही है, केवल मात्र फोरमल नाम दर्ज है, जो हम हमारा हक समाप्त कर रहे है। यह वास्तव मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का हिस्सा ही है। उक्त वाद मे प्रतिवादी के द्वारा दिये गये काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुये समस्त खाता संख्या 214 की 16.14 बीघा भूमि पर हम वादीगण को नाम निरस्त करते हुये प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया जावे। हम वादी 1 व 2 का हक फोरमल होने से समाप्त कर दिया जावे। हम हमारा सम्पूर्ण हक दिनांक 03.05.1996 को बेचान कर चुके है। इसमे हमे यानि वादीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये हम वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। वादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि ग्राम बडाय के खाता संख्या 214 के कुल खसरा नंबर 6 किता रकबा 16.14 बीघा भूमि मे वादी रामचरण, छीतर पुत्र किशनलाल जाति माली का हिस्सा समाप्त करते हुये प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज करने

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

का आदेश प्रदान करे। उक्त वाद मे प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। हम वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व दावा एवं जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड एवं वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1996 के अनुसार यह साबित होता है, कि वादी रामचरण व छीतरलाल द्वारा अपना हिस्सा 1/3 जमनालाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी बडाय को बेचान किया गया था। सम्पूर्ण राशि वादीगण द्वारा प्राप्त की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 शामलाती खातेदार होने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता व प्रतिवादी क्रम 7 बिरधीलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। इससे यह साबित होता है, कि वादीगण द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जमनालाल पुत्र पन्नालाल को बेचान कर दिया गया था, परन्तु शामलाती खातेदार होने से वादीगण का नाम बेचान की गई भूमि के अलावा शेष बची भूमि मे नाम दर्ज हो गया है, जो मुताबिक राजीनामा वादीगण अपना नाम खाते से खारिज कराना चाहते है। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबड़ौद के आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नंबर 264 रकबा 1.11 बीघा, खसरा नंबर 280 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 292 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 405 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 503/401 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से वादी रामचरण, छीतरलाल पुत्र किशनलाल जाति माली का नाम खाते से खारिज किया जाता है, एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का हिस्सा 1/2, एवं प्रतिवादी क्रम 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज करने का आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा
उपखण्ड अधिकार छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

वाद संख्या 130/2016	**डिक्री**	
समक्ष श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां	धारा अन्तर्गत 53, RTA	निर्णय दिनांक : 15-11-18
उपस्थिति : अभिभाषक वादी– श्री गोविन्द गौतम		अभिभाषक प्रतिवादी– दीनदयाल कुशवाह

वाद शीर्षक
उनवान

1. रामचरण पुत्र किशनलाल
2. छीतर पुत्र किशनलाल जाति माली निवासीगण बडाय छीपाबड़ौद जिला बारां राज.

बनाम

1. हरलाल पुत्र गोपाल
2. शम्भूदयाल पुत्र गोपाल (मृतक)
   2/1 कम्पूरीबाई बेवा शम्भूदयाल
   2/2 रवि नाबा0 पुत्र शम्भूदयाल
   2/3 दिया नाबाव पुत्री शम्भूदयाल नाबाव की वली माता खुद कम्पूरीबाई पत्नि स्व0 शम्भूदयाल जाति माली निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद
3. रमेशचन्द पुत्र गोपाल
4. गजानन्द पुत्र गोपाल
5. सोहनलाल पुत्र गोपाल
6. बद्रीबाई पत्नी स्व. गोपाल
7. बिरधीलाल पुत्र भैरूलाल जाति पाली निवासीगण बडाय तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज0.

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबड़ौद के आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नंबर 264 रकबा 1.11 बीघा, खसरा नंबर 280 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 292 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 405 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 503/401 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से वादी रामचरण, छीतरलाल पुत्र किशनलाल जाति माली का नाम खाते से खारिज किया जाता है, एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का हिस्सा 1/2, एवं प्रतिवादी क्रम 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज करने का आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ________ रू0 का व्ययानुतोष ________ द्वारा ______ को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15-11-18 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर छीपाबडौद जिला बारॉ राजस्थान

रामचरण

बनाम

हरलाल वगैराह

वाद बाबत् 53 आर0टी0एक्ट

राजीनामा

मान्यवर,

उपरोक्त उनवान का वाद श्रीमान के न्यायालय मे वास्ते साक्ष्य वादी जेरकार है जिसमे आज तारीख पेशी नियत है।

यह कि उक्त वाद मे वादीगण द्वारा दूसरो के बहकावे मे आकर विभाजन का दावा पेश कर दिया था जो आज पेशी मे है उक्त वाद मे खाता संख्या 214 6 किता भूमि कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा स्थित है जिसमे वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 ता 7 का 2/3 हिस्सा दर्ज जमाबन्दी ग्राम बडाय की सम्वत् 2070 ता 2073 मे दर्ज खाता है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 7 का पूर्व का शामलाती खाते मे खसरा नम्बर 24 की 8 बीघा 02 बिस्वा जो हमारे कब्जे काश्त व बटवारे मे आई थी जिसका बेचान हमने यानी वादीगण ने दिनांक 30–5–1996 को बेचान कर दी थी एवं उसकी बेचान राशि भी हमने ही प्राप्त की थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता गोपाल व प्रतिवादी संख्या –7 बिरधीलाल हम वादीगण के पिता किशनलाल सगे भाई थे सम्पूर्ण भूमि 24 बीघा 16 बिस्वा थी जिसमे से तीनो खातेदारो के नाम होने से हमारे हिस्से की भूमि जमनालाल पुत्र पन्नालाल को बेचान कर चुके है। अब उक्त शेष बची भूमि मे हम वादीगण का कोई हक नही है केवल मात्र फौरमल नाम है जो हम हमारा हक समाप्त कर रहे है यह वास्तव मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का हिस्सा ही है उक्त वाद मे प्रतिवादी के द्वारा दिये गये काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुये समस्त खाता संख्या 214 की 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर हम वादीगण का नाम निरस्त करते हुये प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी 7 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जावे हम वादी 1 व 2 का हक फौरमल होने से समाप्त कर दिया जावे हम हमारा सम्पूर्ण हक 3–5–1996 को बेचान कर चुके है। इसमे हमे यानी वादीगण को कोई आपत्ति नही हे प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये हम वादीगण का वाद खारिज फरमाय जावें

निरन्तर——2पर

Scanned by CamScanner

15.11.18 पक्षकारान आज न्यायालय के उपस्थित होकर मय अभिभाषक राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत राजीनामा को पक्षकारान व अभिभाषक गण को पढ़ कर सुनाया समझाया गया जो बाद उनके समझ कर सहमति स्वरूप को हस्ताक्षर करवाए जिनकी पहचान उनके अभिभाषक गण द्वारा की गयी। राजीनामा बाद पक्षकारान की सहमति, सन्तुष्टी के तस्दीक किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रतिवादीगण।

हरलाल

नि. [illegible]बाई

रमेशचन्द

गजानन्द

सोहन

हिरालाल

नि. बदरीबाई

Identified by me
[illegible]
15-11-18

वादीगण।

श्यामचरण।

हीरालाल

पहलवानसिंह

[illegible]